

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244/२१४६
सेवा में

दिनांक : 01/03/2024

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार,

विषय : Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. Forest land already diverted for access to Retail outlet (Petrol Pump) Khasra NO. 161//13 at Villlage Lohani on Bhiwani Loharu Road (NH-709B), Km. 136-702(RHS), under forest Division and District Bhiwani, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/OTHERS/150474/2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि प्राथी श्री मनीराम सरोहा के द्वारा प्रस्तुत शिकायत का पत्र दिनांक 08.01.2024 (प्रति संलग्न) में वर्णित तथ्यों पर विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अतः आपको लिखा जाता है कि शिकायत पत्र का पूर्ण अवलोकन करने उपरान्त निम्न तथ्यों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट को शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाए:-

1. क्या प्रार्थी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलाई किए गए दोनो प्रस्तावो 48019/2020 तथा 150474/2021 में Diversion Forest Area भिन्न है?
2. प्रस्ताव संख्या 150474/2021 में ऑनलाईन भरे गए Part-I तथा II को मौके अनुसार Verify करके Fresh Recommendation CCF/DFO द्वारा भेजी जाए।
3. क्या यह प्रस्ताव rediversion की Category में आता है ?
4. क्या प्रस्ताव में लगाई गई सी0ए0 स्कीम FCA Guideline के अनुसार ठीक है ?
5. भारत सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 29.07.2022 को लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी द्वारा भेजे गए जवाब से सम्बन्धित तथ्यों को भी जाँच में शामिल किया जाए।

अतः उक्त तथ्यों को शामिल करते हुए शीघ्र जाँच करवाकर CCF/DFO द्वारा Fresh Recommendation Part-I, II को Verify करने उपरन्त इस कार्यालय में भिजवाए।
संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244/२१४७

दिनांक : 01/03/2024
एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, भिवानी को आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला।

1386
16/11/24

श्री जगदीशचन्द्र जी

10244
Bhiwani

दिनांक 31/01/2024

- ✓ सेवा में, 1. श्रीमान श्री जगदीशचन्द्र जी, आई.एफ.ओ (जमिंदार)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा
 वन विभाग हरियाणा सरकार, मुहम्मदाबाद संकर-6 पंचकुला
2. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
 हरियाणा पंचकुला।

PCCF
CPCF

विषय - Diversion of 0.0019 Ha. Of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 Ha. Forest land already diverted for access to retail outlet khasra no. 161/13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road NH-709E km 136.702 (RHS) tehsil district Bhiwani proposal no. PP/HR/Approach/150474/2021.

Ac/ (FC)
15/1

उपरोक्त विषय बारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा डी-3/10244/3068 दिनांक 25-1-2023, आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक प्रशा डी.तीन-10211/2339 दिनांक 28-10-2022, वन मंडल अधिकारी भिवानी कार्यालय के पत्र क्रमांक 1067 दि. 16/11/2022, यूजर एजेंसी/सुनील सरोहा के दिनांक 15/12/2022 एवं वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार के पत्र क्रमांक FCA/1690 दिनांक 22-11-2023 के सन्दर्भ में प्रेषित है।

Supdt (FC)
15/11/24

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 16-11-2022 को आपको रिपोर्ट भेजी गयी थी वह उचित नहीं है, सही नहीं है, तथ्यों के आधार पर नहीं है सरासर झूठी और गलत है। आपको ध्यान दिलाया जाता है कि पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु वन विभाग हरियाणा से अनुमति /अनापत्ति पत्र पहले ही लिया हुआ है जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिए मैंने 284 वृक्षों के पौधारोपण CA (compesatory afforestation) के लिए रूपए कम्पा फण्ड में पहले ही जमा किये हुए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। एक नीम का पेड़ जो 11.5 मीटर में इग्रेस बनाई गयी है इस मार्ग में बाधक बना हुआ है इसके कारण कई बार ट्राले पेड़ से टकराते हुए चार दिवारी से टकराकर दीवार तोड़ चुके हैं। इसके पुनः निर्माण पर लगभग एक लाख रूपए लागत आ चुकी है। यहाँ पर दर्शाया जाता है कि इस बाधक पेड़ के कारण कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। जान-माल का नुकसान हो सकता है कोई बड़ी गाडी ट्राला पेड़ से टकराकर नाले में गिर सकता है। इस लापरवाही का जिम्मेदार भविष्य में वन विभाग हरियाणा होगा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वन विभाग हरियाणा करेगा। इस सम्बन्ध में बाधक नीम का पेड़ कटवाने कि अनुमति के लिए यूजर एजेंसी /प्राथी द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2021 को डी.एफ.ओ. भिवानी तथा वन रेंज अधिकारी भिवानी को पत्र पत्र दिया था जिसकी प्रति संलग्न है। इन पत्रों को डी.एफ.ओ. भिवानी ने लगभग 40 दिन लंबित रखा। यह पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति के डीलर को अलाट किया हुआ है। इस प्रकार के पम्पों का कुछ भाग डीलर तथा कुछ भाग IOCL द्वारा बनाया जाता है। पम्प के फ्रंट रोड कि तरफ इग्रेस व इग्रेस बनाये जाते हैं, जिसमे से साधन अन्दर व बहार जाते हैं। वर्षा में रोड पर तथा पम्प पर जल भराव ना हो इसलिए ओपन ड्रेन (नाला) बनाया जाता है जो सभी पम्पों पर है तथा NHAI कि हिदायतों के अनुसार बनाया जाता है। यह ओपन ड्रेन हर पम्प के मूलभूत नक्शों में

DH want
15.11.24

पृष्ठ 1 से 30 तक संलग्न है।

MP Sarsaha

MP

होता है। यह सभी पेट्रोल पम्प पर लागू है इसके लिए अलग से NOC नहीं लेनी होती। इंग्रेस, इग्रेस तथा नाले का निर्माण तेल निगम (IOCL) द्वारा किया जाता है। निगम ने इस काम का ठेका अपने ठेकेदार को दिया हुआ था। काफी देर काम रुकवाने से ठेकेदार परेशान था उसने पम्प में प्रवेश और बाहर जाने का रास्ता बना दिया और नाले का निर्माण का कार्य भारत सरकार के नियमानुसार बनवाना शुरू किया, बाधक नीम का पेड़ नाले के बीच और इग्रेस के रास्ते में आता है। पेड़ के कारण काम बंद हो गया। डी.एफ.ओ. द्वारा पेड़ कटवाना चाहिए था परन्तु डीलर को अनुसूचित जाती का समझकर कमजोर समझकर पेड़ नहीं कटवाया, नाला नहीं बनने दिया। काम बंद करने का दिनांक 12/11/2021 को नोटिस दिया गया जिसकी फोटो संलग्न है। यह नोटिस बिलकुल नाजायज, सरासर गलत था क्योंकि इस रोड NH-709E पर भिवानी से लोहारू पर अनेक पेट्रोल पम्प पहले बने हुए हैं सभी के फ्रंट में इसी नियम से नाले बने हुए हैं सभी के फ्रंट में इसी नियम से नाले बने हुए हैं किन्तु किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है केवल हमें S.C. समझकर हमारा काम बंद करवाया गया, हमें प्रताड़ित किया गया, गाली गलोच कि गयी, जाति सूचक शब्द कहे गये, ऑफिस में धमकाया गया, हाथा-पाई करने कि कोशिश भी की गयी। हमें यह करके आर्थिक नुकसान भी पहुँचाया गया तथा शोषण किया गया, तथा अतिक्रमण का आरोप गलत लगाया है। इन कारणों से तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी अतन्द्र कुमार अहलावत, तत्कालीन रेंजर ओमप्रकाश पिलानिया, तथा तत्कालीन डीलिंग हैण्ड करतार सिंह के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अभियोग दर्ज करवाकर उनको सजा दिलवाने कि कृपा करें।

उक्त नोटिस बारे दिनांक 24-11-2021 को प्रधान मुख्य संरक्षक वन अधिकारी वन विभाग हरियाणा पंचकुला को नोटिस के प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण देकर नोटिस रद्द करवाने के लिए अपील की गयी। सभी फोटोप्रति संलग्न हैं इस पर कार्यवाही करते हुए PCCF महोदय के द्वारा इस मामले के समाधान हेतु CCF रोहतक कि अध्यक्षता में तीन सदस्यों कि एक कमेटी बनाई गयी तथा मामले का निपटान करके रिपोर्ट वन मुख्यालय पंचकुला को भेजने के आदेश दिए गये। श्रीमान जी आपका ध्यान दिलाया जाता है कि कमेटी कि मीटिंग दिनांक 15-12-2021 को पम्प साईट पर मीटिंग हुई। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने अपनी देखरेख में इग्रेस कि नियमानुसार नपाई कि इससे एक पेड़ नीम नम्बर 173 इग्रेस (रास्ते) के बीच में पाया गया और डीलर द्वारा इस पेड़ को कटवाने से रोकने बारे कोई सबूत/प्रमाण नहीं पाया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री एम.एल.राजवंशी जी आई.एफ.एस., CCF रोहतक ने स्वयं निर्णय लिया कि उक्त पेड़ इग्रेस में आता है इसकी यूजर एजेंसी ने पहले ही NOC/अनुमति ली हुई है यह पेड़ कटवाना जायज़ बनता है। इस निर्णय से कमेटी के सदस्य डी.एफ.ओ. झज्जर और डी.एफ.ओ. भिवानी सहमत थे फिर भी डी.एफ.ओ. भिवानी ने अनावश्यक व निराधार तर्क देकर मामले को उलझाने का प्रयास किया मीटिंग में मामले बारे पूर्ण विचार विमर्श हुआ CCF रोहतक ने निर्णय सुनाया कि यूजर एजेंसी ने वन विभाग में C.A. के लिए रूपए 633674/- कम्पा फण्ड में पहले जमा करवाए हुए हैं अब केवल ओपन ड्रेन बनने वाले स्थान कि वन भूमि प्रयोग करने तथा एक बाधक नीम पेड़ कटवाने कि स्वीकृति लेनी होगी इस पर C.A. स्कीम लागू नहीं होगी क्योंकि ओपन ड्रेन निर्माण व पेड़ पेट्रोल पम्प प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। C.A. कम्पा में जमा करवाकर

MPDM

MR. Sacha

185

NOC ली हुई है। ओपन ड्रेन निर्माण हेतु वन विभाग कि भूमि व पेड़ कटवाने कि स्वीकृति हेतु यूजर एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन व फाइल वन विभाग हरियाणा पंचकुला को देना होगा - आदेश कि पालना करते हुए यूजर एजेंसी द्वारा दिनांक 24/12/2021 को ऑनलाइन आवेदन किया गया तथा दिनांक 30/12/2021 को फाइल डी.एफ.ओ. वन विभाग भिवानी कार्यालय में प्रस्तुत की गयी जिसकी प्राप्ति कि छाया प्रति संलग्न है। श्रीमान जी इस फाइल कि कार्यवाही के बारे में आपका ध्यान दिलाया जाता है कि तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी श्री जितेंदर कुमार अहलावत ने एक साजिश के तहत तत्कालीन डीलिंग हेड श्री करतार सिंह से पूर्व में ली गयी NOC कि छाया प्रति, प्रोजेक्ट का नक्शा तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रिपोर्ट फाइल से खुरद-बुर्द करके स्वीकृति हेतु रिपोर्ट बनाई जो सरासर निराधार व गलत थी। इस रिपोर्ट में ओपन ड्रेन निर्माण हेतु जमीन व पेड़ काटने स्वीकृति हेतु बनाये गये प्रस्ताव में फिर से C.A. स्कीम लगाकर रूपए 344853/- लागत बनाकर डी.एफ.ओ. भिवानी वन विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 1145 दिनांक 18-1-2022 द्वारा CCF हिसार को भेजी गयी थी। इस रिपोर्ट बारे डीलर को वन विभाग भिवानी कार्यालय से जानकारी मिली इस पर बड़े चकित हुए सरकारी अधिकारी फाइलों से दस्तावेज खुरद-बुर्द करते हैं। उच्च अधिकारियों के निर्णय व आदेश कि अवहेलना करके जाति-पाती भेद भाव करके कमजोरी का फायदा उठाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर शोषण व अत्याचार करते हैं रिपोर्ट कि छाया प्रति संलग्न है। उपरोक्त असंगत रिपोर्ट पर प्रार्थी ने आपति लगाते हुए CCF हिसार को दिनांक 24-1-2022 को लिखित में शिकायत पत्र प्रस्तुत करके मामले का पेट्रोल पम्प साईट पर मौका देखकर निरीक्षण किया जाए व डी.एफ.ओ. भिवानी कि असंगत रिपोर्ट में संशोधन करके C.A. हटाकर रिपोर्ट बनवाकर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाने कि कृपा करें। पत्र कि छाया प्रति संलग्न है।

इस अनुरोध पर दिनांक 27/1/2022 को CCF हिसार मौके पर आये और डी.एफ.ओ. भिवानी को मौके पर बुलाकर निरीक्षण किया। इस दौरान CCF हिसार श्री अतुल सिरसेकर जी ने जितेंदर कुमार अहलावत कि रिपोर्ट को सरासर गलत बताया तथा उसमे संशोधित प्रस्ताव लागत रूपए 21543/- बनवा कर CCF कार्यालय से दिनांक 31/1/2022 को वन विभाग हरियाणा मुख्यालय में फाइल प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट कि प्रति संलग्न है मुख्यालय से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्रीय मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर-31 चंडीगढ़ भेजी जानी थी इस दौरान जितेंदर कुमार अहलावत डी.एफ.ओ. भिवानी ने तालमेल करके डीलिंग हैण्ड करतार सिंह पर दबाव डालकर फिर से नोटिंग में गलत लागत रूपए 344853/- लिखवाकर सम्बंधित केन्द्रीय कार्यालय भेजी गयी है। इस रिपोर्ट पर आपति लगाकर प्रार्थी ने दिनांक 7/7/2022 को प्रधान मुख संरक्षक वन विभाग हरियाणा पंचकुला तथा केन्द्रीय कार्यालय से रिपोर्ट पर रोक लगाकर संशोधन करके स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। इसकी प्रति संलग्न है इस पर केन्द्रीय कार्यालय फाइल नं. 9-HRB 151 /2022 - CHA दिनांक 29-7-2022 द्वारा नोडल ऑफिसर एवं अति प्रधान मुख्य संरक्षक (FCA) वन विभाग हरियाणा पंचकुला मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी गयी। इसके सम्बन्ध में नोडल ऑफिसर ने CCF हिसार के माध्यम से वन मंडल अधिकारी भिवानी से रिपोर्ट गई, इस सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी भिवानी ने जो रिपोर्ट भेजी वह भी असंगत, निराधार, बेबुनियाद झूठी है। इस पर प्रार्थी ने आपति

MPOM

MP Saroha

लगते हुए दिनांक 15/12/2022 को वन विभाग मुख्यालय और केन्द्रीय कार्यालय से रिपोर्ट संशोधित करके स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया था। इस पर केन्द्रीय कार्यालय ने वन विभाग हरियाणा पंचकुला से पुनः रिपोर्ट मांगी गयी। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में CCF हिसार वन मंडल अधिकारी भिवानी से रिपोर्ट मांगी है। इस सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी भिवानी कि रिपोर्ट के आधार पर वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार ने जो रिपोर्ट भेजी है वह निराधार, असंगत, तथा तोड़ मरोड़ कर, फाइल से रिकॉर्ड खुरद-बुर्द करवाकर मनघडंत झूठी रिपोर्ट अधिकारी मैडम वन संरक्षक पश्चिमी परिमंडल हरियाणा हिसार द्वारा कोई जाँच पड़ताल नहीं कि गयी है तथा दोषियों से मिली भगत करके उनको निर्दोष बनाने का प्रयास किया है। डीलर द्वारा कोई भी काम गैरकानूनी नहीं किया गया है जो कार्य किया नियमानुसार किया गया है। ओपन ड्रेन निर्माण कार्य तेल निगम के ठेकेदार द्वारा करवाया गया है डीलर का इसमें कोई हाथ नहीं है फिर भी मैडम CCF हिसार परिमंडल ने डीलर को मुलजिम बताकर अपमानित किया है।

अतः इस मामले कि निष्पक्ष निर्णय के लिए कमेटी गठित करने कि कृपा करें तथा रिपोर्ट को संशोधित करके ओपन ड्रेन निर्माण हेतु भूमि देने तथा पेड़ कटवाने कि स्वीकृति देने के कृपा करें जी।

चण्डाद सहित

Date
08/01/2024.

मनीराम सरोहा

मनीराम सरोहा
महासुख फिलिंग स्टेशन, लोहानी जिला भिवानी
9501225240, 6283950630

उपरोक्त कि एक एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को कालक्षेप में भेजा जाये हेतु प्रेषित है।

1. श्री केशवपाल सिंह गुर्जर जी, मन्त्री वन विभाग हरियाणा, सिविल सचिवालय हरियाणा सैक्टर-1 चण्डीगढ़ (नाम द्वारा)
2. श्रीमती मुरलीधर सिंह वन विभाग हरियाणा, सिविल सचिवालय हरियाणा सैक्टर-1 चण्डीगढ़ (नाम द्वारा)
3. श्रीमान तकनीकी संचालक (वनीकी ग्रेड-1) (नाम द्वारा) 4
IRO MoFF & CC चण्डीगढ़
वजन 24-25 सैक्टर-31 चण्डीगढ़।
- 160030 -

मनीराम सरोहा
महासुख फिलिंग स्टेशन, लोहानी जिला भिवानी

ok

187
29/9/2021

दिनांक: 29 सितम्बर 2021

सेवा में,

श्री आर्यभट्ट

श्रीमान वन रेंज अधिकारी, भिवानी / DFO भिवानी /
वन विभाग, हरियाणा सरकार |

विषय - Diversion of 0.081 ha of forest land for access to retail outlet of IOCL along Bhiwani to Loharu road (NH 709B) near Km 136.702 R/side at village Lohani under forest diversion and district Bhiwani Haryana.

Online proposal no. FP/HR/Approach/48019/2020

कृपया उपरोक्त विषय बारे आपके कार्यालय से प्राप्त NOC क्रमांक प्रशासन बी तीन-9544/1051 दिनांक 15-3-2021 के सन्दर्भ में

श्रीमान जी,

इस संबंध में आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि मैं सुनील कुमार सरोहा सुपुत्र श्री मनीराम सरोहा गाँव हडोदी जिला चरखी दादरी, भिवानी से लोहारू NH-709B गाँव लोहानी में IOCL के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित कर रहा हूँ इससे सम्बन्धी प्रशासन से सभी अब्ज प्चारिकतायें पूरी करवाई गयी हैं।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI भारत सरकार व जिलाधीश भिवानी से NOC व गाइडलाइन तथा आउटलेट का अनुमोदित नक्शा मिल गया है। अब प्रशासन कि गाइड लाइन दिशा निर्देश तथा IOCL के आदेश अनुसार पेट्रोल पम्प साईट में आउटलेट कि ईमारत निर्माणाधीन है, यहाँ पर आपका ध्यान दिलाया जाता है कि प्रशासन कि गाइड लाइन अनुसार आउटलेट साईट रोड फ्रंट में पानी निकासी के लिए कलवर्ट, साधनों के पेट्रोल पम्प पर आवाजाही के लिए इनग्रेस तथा इग्रेस, तथा पूर्व में 70 मीटर लम्बाई व पश्चिम में 100 मीटर लम्बाई का ड्राइव-वे बनाया जाना है, जो निर्माणाधीन है। यहाँ एक नीम का पेड़ जिसका नंबर 173 है वह साईट कि 11.5 मीटर चौड़ी इग्रेस(exit) के बीच आ रहा है। जिसकी वजह से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। आपके विभाग द्वारा बनायी गयी सर्वे रिपोर्ट में इस पेड़ को शामिल नहीं किया गया था। सर्वे में 20 बड़े पेड़ बाधक कि सूचि में दिखाए गये हैं जिनकी काटने कि अनुमति दी गयी है जबकि केवल 16 बड़े पेड़ फ्रंट साईट तथा ड्राइव वे से काटे गये हैं।

-5-

-5-



1

181
आपसे सानुरोध है कि नियमानुसार इस पेड़ को साईट से हटवाने कि अनुमति प्रदान करें
ताकि निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। आपकी अति कृपा होगी।

संलग्न कागजात:

1. डी.सी. भिवानी द्वारा अनुमोदित पेट्रोल पम्प आउटलेट साईट का नक्शा तथा NOC।
2. वन संरक्षक भिवानी का अनापत्ति पत्र।
3. NHAI का अनापत्ति पत्र।

For MAHASUNH FILLING STATION

Sunil Kumar
29/1/24

PROP.

सुनील कुमार सरोहा

गाँव हडोदी

de
पेट्रोल पम्प साईट गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड

मो न. 6283950630

MPD

2

-5-

सेवा में,

Indian Oil Corporation Limited
1st Floor,SCO 40-41,
Sector-13, P-Tosham Road,
Hisar, Haryana, Pin Code: 125005.

विषय : - Retail outlet (Petrol Pump) at proposed location at village Lohani on Bhiwani-Loharu Road, Tehsil & Distt. Bhiwani (HR)

Proposal No. FCA(FP/HR/Approved/48019/2020)

क्रमांक 203

दिनांक 20/08/2020

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशी का Break up नीचे दिये गये विवरण अनुसार कैम्पा के की राशी Compensatory Levies (C.A. cost, NPV, etc.) की राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट <http://efclearance.nic.in>) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से राशी जमा करवाएं।

1	Compensatory Afforestation :	292816.00
2	Additional Compensatory Afforestation :	122988.00
3	Penal Compensatory Afforestation :	0
4	Catchment Area Treatment :	0
5	Safety Zone :	0
6	Additional Charges for protected area :	0
7	Net Present Value (NPV):	71847.00
8	Any other Charges (if Any): Soil Moisture conservation C	96629.00
	Other Charges 1 (If any): Supervisory Charges	29282.00
	Other Charges2 (If any): Plantation Damage Charges	0.00
	Other Charges3 (If any): Felling Charges	20112
	Total :	633674.00
	Or Say :	0
	Remarks :	

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

-7-

-7-

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9544/1051

दिनांक: 15-3-2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.081 ha. of forest land for access to retail outlet of IOC Ltd. along Bhiwani Loharu road (NH 709-B) near km. 136.702, R/side, at Village Lohani, under forest division and District Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Approach/48019/2020

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9544/8949 दिनांक 8-12-2020।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगा गया है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है।
2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.081 है० वन भूमि उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 20 अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त 42 पौधे नष्ट होंगे। अतः इन 20 वृक्षों (वालयुम 18 m³) को कटवाने व 42 पौधे नष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी प्राप्त 322098+122988=445086/- रुपये की राशि से सुन्दर डिस्ट्री 0 आर.डी. 30-52 बायीं ओर 200+84=284 पौधे लगा कर किया जाएगा।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- (v) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के नहीं किया जाएगा।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बचा जायेगी तो उस बची हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा कर के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- (vii) यह अनुमति 15 वर्षों के लिए अर्थात् 15-3-2036 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी।
- (viii) पेट्रोल पम्प/Fueling Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर तक छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पट्टों का वृक्षारोपण किया जाए।
- (ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) साथ-साथ व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (x) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

- (xi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
- (xii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा !
- (xiii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
- (xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xv) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xvi) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
- (xvii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिष्कारस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xviii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी का जिम्मेवारी होगी ।

3. सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है । वन मण्डल अधिकारी इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 16/03/21
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफओसीओए)
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा
 पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

- 1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं० 24-25, सेक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
- 2. वन मण्डल अधिकारी, भिवानी ।
- 3. Senior Manager (Retail Sales), IOC Ltd., Hisar.



क्र. क्रमांक 2870-73 दिनांक 16/03/2021
 एक प्रति सिंग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
 उपायुक्त गिवाणी को उनके पास क्रमांक 632-41 P.L.
 दिनांक 22-6-2020 से स्फूर्ति में
 Senior manager (Retail Sales) IOC LTD, HISAR.
 सैल्वे वन्य मण्डल कार्यालय को कृपया कि आभार प्रदर्शित करें
 वन राजस्व अधिकारी भिवानी

MLM

VPL
 उपायुक्त संरक्षक गिवाणी



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Deputy Conservator Of Forest, Bhiwani
Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

दिनांक/ 12/11/21

क्रमांक/ 1831
सेवा में:-

श्री सुनील कुमार सरोहा, सुपुत्र श्री मनीराम सरोहा,
गांव हड़ोदी, तहसील बाढड़ा,
जिला-चरखी दादरी।

विषय :- Diversion of 0.081 ha. of forest land on approach road for access to IOCL Retail-Cutlet,
along Bhiwani - Loharu Road (NH-709B), at near K.m 136.702 R/Side at Village Lohani,
under Forest Division Bhiwani.
Online purposal no. FP/HR/Approach/48019/2020.

संदर्भ :- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2021 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, भिवानी ने दिनांक 05.10.2021 को मौके का निरीक्षण किया गया व मौके पर पाया कि जो नीम का वृक्ष गणना नं० 173 हरा खड़ा हुआ है। वह वृक्ष जब एफ०सी०ए० केस का मौका निरीक्षण किया गया था, उस समय पैमाईश करने उपरान्त दोनों तरफ 11.5 मीटर इनग्रेस व इग्रेस छोड़ने के बाद 12 मीटर डी दर्शाई गई थी उसी में आ रहा था। पेट्रोल पम्प मालिक द्वारा नक्से अनुसार जो पिल्लर लगाये गये थे उन पिल्लरों के हिसाब से सही पैमाईश की गई थी तथा मौके पर पेट्रोल पम्प मालिक को यह बता दिया गया था कि यह वृक्ष पेट्रोल पम्प की डी ऐरिया में आता है। Project स्थापित करने से पूर्व मौका निरीक्षण के दौरान आप द्वारा स्वयं Felling charge कम करवाने के मकसद से इस पेड़ को मार्किंग सूची से हटवाया गया था। दिनांक 08.11.2021 को निम्नहस्ताक्षरी के स्वयं मौका निरीक्षण में पाया गया की वर्तमान में आपका मकसद इस पेड़ को कटवाकर वन भूमि में से नाजायज तौर पर Concrete Drainage Box बनवाना है, जो नियमानुसार सही नहीं है। Drainage Box का निर्माण आपकी निजी भूमि में किया जाना बनता है। यदि आपको इस निर्माण के लिये वन भूमि की आवश्यकता है, तो पुनः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत ऑन लाईन प्रस्ताव भारत सरकार की साईट पर अपलाई करें। इसके अतिरिक्त आप द्वारा Stage - II Approval में प्रस्तावित 11.5 m से अधिक भूमि पर Concrete Box बनाया हुआ है, जो कि अवैध है। आपको सचेत किया जाता है कि वन भूमि पर अवैध कब्जा न करें तथा प्रतिबंधित वन क्षेत्र में खड़े हरे पेड़ को काटने का प्रयास न करें।

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

पृ० क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति वरिष्ठ प्रबन्धक(रिटेल सेल्ज), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, हिसार मण्डल कार्यालय हिसार को भेज कर लिखा जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव में लीज-धारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना की जा रही है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना न की जाये, अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापिस लेने बारे उच्चाधिकारियों को लिख दिया जायेगा।

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

201

Ref:- HDO/FOREST ONLINE

Date: 24/12/21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

Letter of authority

We hereby confirm that Shri Manish Bacchuwan, Manager (RS), posted at Hisar Divisional Office, Hisar is authorized to file application for diversion of additional forest land for use of our petrol pump site for the following location:-

Village-Lohani, Bhiwani-Loharu Road, District Bhiwani, State – Haryana

For Indian Oil Corporation Limited (M.D.)

Manish
(12-A)

[Signature]
Chief Divisional Retail Sales Manager
Hisar Divisional Office

203
JT-2k-11-2021

अति आवश्यक

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार अहलावत (IFS) जी
उप वन संरक्षक
जिला भिवानी।

विषय : Diversion of 0.081 ha. of forest land on approach road for access to IOCL Retail Outlet along Bhiwani-Loharu Road (NH-709B), at near Km 136.702 R/side at Village Lohani, under forest division bhiwani.

Online proposal No. FP/HR/Approach/48019/2020.

सन्दर्भ - कृपा उपरोक्त विषय बारे मेरे पत्र दिनांक 29-9-2021 तथा आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 12-11-2021 जो दिनांक 22-11-2021 तक डीलर को प्राप्त नहीं हुआ, दिनांक 23-11-2021 को प्रातः आपके कार्यालय में हाजिर होकर कार्यालय से प्राप्त किया के सन्दर्भ में

इस सम्बन्ध में अनुरोध के साथ प्रस्ताव बारे आपका ध्यान दिलाया जाता है कि आपके पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 12-11-2021 में विचाराधीन प्रस्ताव में जो इतराज लगाये गये हैं वे सरासर निराधार व बेबुनियाद लगाये गये हैं। इन इतराजों बारे बिंदु अनुसार नियमानुसार निम्नलिखित स्पष्ट करता हूँ।

1. डीलर द्वारा *Felling Charge* कम करवाने हेतु इस पेड़ को मार्किंग सूचि से हटवाया गया था।

श्रीमान जी, आपका ध्यान दिलाया जाता है कि वन राज्यिक अधिकारी भिवानी ने दिनांक 6-9-2020 को एफ.सी.ए. केस का ग्रीका निरीक्षण किया, उस दौरान इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमोदित करके मुझे एन.ओ.सी. हेतु साईट का नक्शा दिया गया था। इस नक्शे का मकसद साईट के-इनग्रेस तथा इग्रेस को दर्शाना था जिसकी वन विभाग से एन.ओ.सी.(NOC) लेनी थी। जिसके अनुसार पेट्रोल पम्प साईट फ्रंट कि उत्तर दिशा में भिवानी-लोहारु नेशनल हाईवे है, रोड से साईट कि दूरी 7.5 मीटर है, इनग्रेस व इग्रेस 11.5 मीटर चौड़े हैं। रेंज अधिकारी ने नक्शे के हिसाब से निरीक्षण दौरान रोड से इनग्रेस व इग्रेस कि दूरी नापी थी जो 7.5 मीटर थी, इसके साथ इनग्रेस व इग्रेस कि चौड़ाई भी मापी थी जो 11.5 मीटर थी, इनके बीच कि दूरी 12 मीटर नापी गयी थी जो सही है, जो अभी भी इनग्रेस व इग्रेस रोड से 7.5 मीटर दूरी पर है, इनकी चौड़ाई 11.5 मीटर है तथा बीच कि दूरी 12 मीटर है, यहाँ पर आपका ध्यान दिलाया जाता है कि दिनांक 6-9-2020 को रेंज अधिकारी ने निरीक्षण किया उस समय इनग्रेस, इग्रेस व बीच कि भूमि में कई वृक्ष तथा दो/तीन छोटे पौधे रोड कि तरफ थे, इन सबको काटने के लिए अनुरोध किया गया था। मैंने साईट फ्रंट और रोड के बीच में आने वाले किसी पेड़ को छोड़ने के लिए ना तो कहा और ना ही लिखित में दिया। सभी बड़े पेड़ व कई छोटे

पौधे काटने के लिए अनुरोध किया जिसकी लिस्ट बनाई गई है जो संलग्न है यह 173 नंबर नोम का पेड़ काटे जाने वाले पेड़ों की सूची में है।

इसके बाद मालूम नहीं क्या चाल चली, कुछ दिनों बाद मेरे को रेंज अधिकारी द्वारा मोबाइल से बताया गया कि आप पम्प साइट पर पहुंच जाएं मैं पुनः निरीक्षण करूंगा। मैं निर्धारित समय पर पहुंचा और निर्देश अनुसार साइट को घूने से चिन्हित किया। रेंज अधिकारी साइट पर पहुंचा और पुनः निरीक्षण करने लगा, पहले कि तरह ही साइट कि रोड से दूरी (7.5 मीटर), इनग्रेस व इग्रेस दोनों कि चौड़ाई 11.5 मीटर, इनग्रेस तथा इग्रेस के बीच कि दूरी 12 मीटर पाई गयी। इस दौरान इनग्रेस व इग्रेस के बीच कि 12 मीटर जगह में, इनग्रेस व इग्रेस के रास्ते में कुछ बड़े पेड़ व छोटे पौधे खड़े थे जिसमें से एक यह नोम का पेड़ (नम्बर 173) भी था। मैंने सभी पेड़ों को काटने के लिए अनुरोध किया था जो कि बाधा कर रहे थे, जिसमें यह पेड़ भी था। इनके अतिरिक्त नक्शों के अनुसार 70 मीटर लम्बा ड्राइव-वे साइड रोड पूर्व कि ओर व 100 मीटर लम्बा ड्राइव-वे साइड रोड पश्चिम कि ओर बनाया जाना था, उसपर भी कुछ बड़े पेड़ व छोटे पेड़ आ रहे थे उन्हें भी चिन्हित किया गया। दर्शाया जाता है कि मैंने कोई भी पेड़, जो कि बाधा कर रहा था, को छोड़ने का अनुरोध नहीं किया, रेंज अधिकारी साहब से सूची देखने कि अपील की पर मुझे सूची नहीं दिखाई गयी, मुझसे डी.एफ.ओ. कार्यालय से मालूम करने को कहा गया। अनुमानित पेड़ों कि संख्या व लागत बारे लिस्ट देखने बारे तीन बार DFO कार्यालय का चक्कर लगाया किन्तु डीलिंग हेण्ड ने कुछ नहीं बताया। काफी अनुरोध के बाद यह बताया आपकी फाइल मुख्यालय पंचकुला भेजी गयी है स्वीकृति हो जाएगी तब आपको बता दी जाएगी। फिर कुछ दिन बाद कार्यालय गया तो लागत बता दी, कहा गया 'पेट्रोल पम्प ऐसे ही नहीं लग जाते, पहले सोचते'।

मैं इस निरीक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था और बार-बार उच्च अधिकारियों से पुनः निरीक्षण के लिए लिखित रूप में अनुरोध करता गया जिनको डीलिंग हेण्ड ने फाइल करवा दिया। मैंने कैम्पा में लागत जमा करा दी जिसके अनुसार 20 बड़े पेड़ व 42 छोटे पौधे काटे जाने थे। इनके स्थान पर 284 नए पेड़ लगाये जाने हैं इनकी कीमत में अदा कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको यह भी अवगत किया जाता है कि जो यह नोम का पेड़ (नम्बर 173) है वह रेंज अधिकारी साहब कि गलती से हुटा है, या उन्होंने किसी अन्य नियत से छोड़ा है, यह रेंज अधिकारी साहब ही बता सकते हैं। मैंने मौखिक और लिखित रूप से कभी भी अनुरोध नहीं किया कि किसी भी पेड़ का felling charge कम किया जाये, मेरा अनुरोध तो सूखे/गिरे पेड़ों और छोटे पौधों तक ही सीमित था जो कि मेरे पत्राचार में भी है। यह आरोप निराधार है।

2. वन भूमि में नाजायज तौर पर Concrete Drainage Box बनवाना, जो नियमानुसार सही नहीं है।

महोदय जी, दर्शाया जाता है कि मुख्य नक्शा जिसके आधार पर पेट्रोल पम्प बनया जा रहा है वह एन.एच.ए.आई. (NHAI) तथा माननीय उपायुक्त भिवानी द्वारा अनुमोदित है। साथ ही बताया जाता है कि इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन भारत सरकार का निगम है जो भारत सरकार के अधीन नियमानुसार व दिशा निर्देश अनुसार कार्य करता है। यह पेट्रोल पम्प 'A' साइट है, जो कि कोर्पोरेशन द्वारा स्थापित

किया जा रहा है। इसका निर्माणाधीन कार्य उक्त निगम के लेआउट प्रोजेक्ट प्लान का नक्शा जो एन.एच.ए.आई.(NHAI) तथा माननीय उपायुक्त भिवानी द्वारा स्वीकृत है। यह नक्शा मेरे पत्र दिनांक 29-9-2021 के साथ संलग्न है। इसलिए उक्त पेट्रोल पम्प का निर्माणाधीन सभी कार्य इस नक्शे अनुसार करवाए जा रहे हैं। IOCL व NHAI के आदेशानुसार concrete drainage box (culvert अथवा बरसाती पानी निकासी के लिए नाला) पेट्रोल पंप साईट के आगे NHAI की भूमि में ही बनाया जाता है। अन्य NHAI पर लगते पेट्रोल पम्पों के सामान्य निरीक्षण से भी इस बात को सत्यापित किया जा सकता है। इस पेट्रोल पम्प का निर्माण सही नियमानुसार किया जा रहा है आपका इतराज निराधार व ग़र क़ानूनी है। आपका अवगत किया जाता है कि किसी भी कंपनी/निगम के द्वारा संचालित पेट्रोल पम्प का निरीक्षण करें। culvert/कंक्रीट ड्रेनेज बॉक्स पम्प साईट से बाहर रोड़ की तरफ बी&आर या नेशनल हाईवे की जगह में बनाया हुआ मिलेगा। इससे स्पष्ट है यह कंक्रीट ड्रेनेज बॉक्स/कलवर्ट का निर्माण सही किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे उपरोक्त प्रस्ताव पर विश्वास करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकृत करके आप आपके पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 12-11-2021 को रद्द करने की कृपा करें। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके साथ-साथ कृपा करके विवादित नीम पेड़ नम्बर 173 को कटवाने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित।

FORMAHASUKH/FILLING...

24/11/21

Sunil Kumar

PROP

सुनील कुमार सरोहा
गाँव हडोदी

पेट्रोल पम्प साईट-741 गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड़
मो न. 6283950630

उपरोक्त पत्र कि एक-एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रेषित है।

1. श्री वी.एस. तंवर जी, प्रधान मुख्य संरक्षक वन अधिकारी, वन विभाग हरिबाणा, पंचकुला
2. श्री मनीष कुमार जी, मेनेजर, हिस्तर डिवीज़न, इंडियन ऑइल कोरोरेशन लिमिटेड

FORMAHASUKH/FILLING...

24/11/21

Sunil Kumar

PROP

सुनील कुमार सरोहा
गाँव हडोदी

पेट्रोल पम्प साईट-741 गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड़
मो न. 6283950630

201

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Haryana and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. : FP/HR/Others/150474/2021
2. Proposal Name : IOCLtd. at village Lohani Distt. Bhiwani
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 24/12/2021
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : Manish
Mobile No. : 9899826806
State : Haryana
District : Hisar
Pincode : 125005

6. Area Applied (ha.) : - 0.0019

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Haryana on 24/12/2021.

1. Proposal No. : FP/HR/Others/150474/2021
2. Proposal Name : IOCLtd. at village Lohani Distt. Bhiwani
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 24/12/2021
5. Name of the User Agency with Contact Details

Name : Manish
Mobile No. : 9899826806
State : Haryana
District : Hisar
Pincode : 125005

6. Area Applied (ha.) : 0.0019

(System Administrator)

Received & files

Pardeep Kumar (DFO. office Bhiwani)
29/12/2021 (30-12-2021)

ARM

211

श्रीमान शरद कुमार

Prop. Sunil Kumar Saroha
6283950630



M/S MAHASUKH FILLING STATION

Village Lohani on Bhiwani-Loharu Road, Bhiwani, Haryana

दिनांक: 18/1/2022

• सेवा में,

1. श्रीमान वी. एस. तंवर, आई.एफ.एस (नाम द्वारा)
प्रधान मुख्य संरक्षक वन अधिकारी
वन विभाग, हरियाणा सरकार |
2. श्रीमान जितेन्द्र कुमार अहलावत , आई.एफ.एस.
डी.एफ.ओ. भिवानी, वन विभाग

विषय - Permission for diversion of forest land measuring 0.0019 hac. (Online proposal no. FP/HR/Others/150474/2021) in addition to already approved project named "Diversion of 0.081 ha of forest land for access to retail outlet of IOCL along Bhiwani to Loharu road (NH 709B) near Km 136.702 R/side at village Lohani under forest diversion and district Bhiwani Haryana. Online proposal no. FP/HR/Approach/48019/2020" for construction of open drain as instructed by DFO, Bhiwani.

कृपा उपरोक्त विषय बारे प्रधान मुख्य संरक्षक वन विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक PS/PCCF/1223-26 दिनांक 30-11-2021 के सन्दर्भ में |

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सुनील कुमार सरोहा सुपुत्र श्री मनोराम सरोहा गाँव लोहानी लोहारू-भिवानी रोड़ पर इंडियन ऑइल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित कर रहा हूँ | इस बारे आपके विभाग से NOC प्राप्त कि हुई है | उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिए मैंने 284 वृक्षों के

217

पौधरोपण/CA(compensatory afforestation) के लिए 6,33,674 रूपए कैम्पा फण्ड में पहले ही जमा किये हुए हैं। पेट्रोल पम्प के फ्रंट में ओपन ड्रेन बनवाने के लिए अतिरिक्त वनभूमि प्रयोग हेतु अनुमति के लिए दिनांक 24/12/2021 को ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है।

अतः आपसे सविनय निवेदन है कि इस अतिरिक्त भूमि 0.0019 hac. जिस पर ओपन ड्रेन बनाया जाना है उसके लिए मुझे CA स्कीम से बाहर रखा जाये क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझ पर CA स्कीम पहले ही लगायी जा चुकी है। दिनांक 15-12-2021 को तीन सदस्य कमेटी जिसकी अध्यक्षता श्री एम.एल. राजवंशी जी (CCF सेंट्रल रोहतक) द्वारा की गयी, ने पहले ही दर्शाया था कि उपरोक्त अनुमति के लिए अतिरिक्त CA स्कीम नहीं लगायी जाएगी। उपरोक्त प्रोजेक्ट कि FRA रिपोर्ट, NH NOC, तथा DC NOC पहले ही ली जा चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि मामले बारे कि गयी कार्यवाही बारे हमें भी अवगत करवाने कि कृपा करें। सविनय अनुरोध यह भी है कि आप DFO भिवानी को भी अवगत कराये कि उपरोक्त अनुमति शीघ्रताशीघ्र दी जाये तथा इस अनुमति को CA स्कीम से बाहर रखे, जैसा कि 15-12-2021 को कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था।

आपकी अति मेहेरबानी होगी।

धन्यवाद जी।

सुनील कुमार सरोहा
गाँव हडोदी

पेट्रोल पम्प साईट गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड

मो न. 6283950630

ईमेल: daz3dsuniel@gmail.com

1. उपरोक्त कि एक प्रति श्री एम.एल. राजवंशी, आई.एफ.एस. सी.सी.एफ.,(नाम द्वारा) रोहतक को अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा दिनांक 15-12-2021 को तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा किए गए निरीक्षण कि रिपोर्ट से पूर्णतः को अवगत करवाने कि कृपा करें।

Dated 18/1/2022

215
37

To CCF, Hissar
Full Title of the Project: Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

File No. : FCA/S/ FP/HR/Others/150474/2021.
Date of Submission: 24.12.2021.

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF/DFO

(For the Forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Nodal Officer and Conservator of Forests (FC) for diversion (under FCA-1980) of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 08.01.2022.

- 1 **Felling of 01 Nos. of trees involved.**
- 2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest area measuring 0.0019 ha.
- 3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 4 Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof.
- 5 Whether any protected archaeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from the competent authority.
- 6 (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.
(b) It has been found that the user agency has violated the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 Indian Forest Act, 1927/ any other forest Act. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand-book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).

(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold letters)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

May be considered for approval

Place :.....Bhiwani.

Date: 18/1/2022.

(Signature)

Name

Designation

Seal.....

392

[Handwritten Signature]

Divisional Forest Officer
Bhiwani Forest Division
Bhiwani

217
34

Full Title of the Project: Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

File No. : FCA/S/

FP/HR/Others/150474/2021.

Date of Submission:

24.12.2021.

CHECK LIST SERIAL NUMBER: 17

LOCATION MAP

Location Map of Non-forest/Degraded Forest Area identified for Compensatory Afforestation in lieu of the proposal for diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

Village: _____ Tehsil _____ District: _____ Forest

Division Bhiwani. Forest Range:- Siwani

Block No./Compartment No./Survey No.:- _____ Area:- 0.0019 x2=0.0038 ha.

Motipura Disty from Rd 60-85 L&R /Side

Map attached of the area to be taken for Compensatory Afforestation

Dy. Conservator of Forest,
Bhiwani Forest Division

Divisional Forest Officer
Bhiwani Forest Division
Bhiwani

[Handwritten Signature]

-19-

211
3

Full Title of the Project: Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

File No. : FCA/S/
Date of Submission: FP/HR/Others/150474/2021.
24.12.2021.

CHECK LIST SERIAL NUMBER:-18

"SCHEME FOR C.A."

Name of the Forest/Reach to be diverted - Forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.
Forest Area = 0.0019 ha.

Details of degraded forest land/non-forest land where C.A. is to be carried out.

Division: Bhiwani District : Bhiwani

Area to be Afforested :- 0.10 ha.

a) Whether the site selected for Compensatory Afforestation is a Land bank (Yes or No): No.

b) If the CA site is other than the land bank, reasons be given:-
In case of non-forest area identified for CA, then what is the distance of CA site from the adjoining forest boundary :-

i) Soil type: Good

ii) Topography a. Hilly/Undulating/Plain: Plain
b. Slope:-Steep/Medium/Gentle: Gentle

iii) Whether the area is bearing any root stock of vegetation:- No

Plantation Model:-

Copy of the approved Compensatory Afforestation Scheme/Model showing component wise physical and financial break up is as under ;

1. Schedule of Plantation Programme:-

Detail of year wise break-up of requirements of funds is as under:-

The plantation cost is calculated for Tall Plants norms at 4m x 2½m spacing at the wage rate of Rs. 382 per day as under:-

Year	Rate per Plant
1 st Year cost of afforestation	Rs. 400 Per Plant
2 nd Year maintenance	Rs. 98 Per Plant
3 rd Year maintenance	Rs. 61 Per Plant
4 th Year maintenance	Rs. 25 Per Plant
5 th Year maintenance	Rs. 27 Per Plant
6 th Year maintenance	Rs. 30 Per Plant
7 th Year maintenance	Rs. 33 Per Plant
8 th Year maintenance	Rs. 36 Per Plant
9 th Year maintenance	Rs. 40 Per Plant
10 th Year maintenance	Rs. 44 Per Plant
Total	Rs.794

Area to be Diverted : 0.0019 ha.

No. of Trees to be felled : 01

394

221
36

No. of Plants to be damaged : 00.

Area to be planted under normal CA : 0.10 (Double the area to be diverted)

Plants to be Planted under normal CA : 100 nos. (@ 1000 plants per ha.)

Additional C.A. : 0 ha. in lieu of plants to be damaged (Double the plants to be damaged)= 0 Plants

Area to planted under Addl. CA : 0 (@ 1000 plants per ha.)

Total No. of plants to be planted (CA) 100

Total Area to be planted (CA+Addl.CA) : 0.10 ha. (@ 1000 plants per ha.)

S.No	DESCRIPTION		RATE	TOTAL AMOUNT (Rs.)
A	Compensatory afforestation Charges	No. of Plants		
(1)	1 st Year cost of afforestation	100	Rs. 400/- Per Plant	40000
(2)	2 nd Year maintenance		Rs. 98/- Per Plant	9800
(3)	3 rd Year maintenance		Rs. 61/- Per Plant	6100
(4)	4 th Year maintenance		Rs. 25/- Per Plant	2500
(5)	5 th Year maintenance		Rs. 27/- Per Plant	2700
(6)	6 th Year maintenance		Rs. 30/- Per Plant	3000
(7)	7 th Year maintenance		Rs. 33/- Per Plant	3300
(8)	8 th Year maintenance		Rs. 36/- Per Plant	3600
(9)	9 th Year maintenance		Rs. 40/- Per Plant	4000
(10)	10 th Year maintenance		Rs. 44/- Per Plant	4400
(11)	Barbed wire fencing charge= $100/250=0.4$ Both sides $0.4 \times 2 = 0.8$ RKM		Rs.200000/- Per RKM	160000
	Total Charges			239400
	Supervisory / Overhead / Miscellaneous Charges		10% on the CA charges	23940
	Sub Total (A) Total C.A. Charges			263340
B	Additional Compensatory Afforestation Charges			
(1)	1 st Year cost of afforestation	0	Rs. 400/- Per Plant	0
(2)	2 nd Year maintenance		Rs. 98/- Per Plant	0
(3)	3 rd Year maintenance		Rs. 61/- Per Plant	0
(4)	4 th Year maintenance		Rs. 25/- Per Plant	0
(5)	5 th Year maintenance		Rs. 27/- Per Plant	0
(6)	6 th Year maintenance		Rs. 30/- Per Plant	0

MRM

223
37

	(7) 7 th Year maintenance	Rs. 33/- Per Plant	0
	(8) 8 th Year maintenance	Rs. 36/- Per Plant	0
	(9) 9 th Year maintenance	Rs. 40/- Per Plant	0
	(10) 10 th Year maintenance	Rs. 44/- Per Plant	0
	(11) Barbed wire fencing charge = $0/250 = 0$ Both sides = $0 \times 2 = 0$ RKM	Rs.200000/- Per RKM	0
	Sub Total (B) Total Addl. C.A. Charges		0
	Total		263340
C	Catchment Area Treatment		
	Soil and Moisture Conservation charges	30% of the Total CA	79002
	Sub Total (D)		0
D	Safety Zone		0
E	Additional Charges		
		0
		0
	Sub Total (F)		0
F	Net Present Value of Forest Land to be diverted = 0.0019 ha.	Rs. 887000/- per ha.	1685
G	Penalty for violation as per provisions of S.No. ii (a) Para 1.21 Chapter-1 of Handbook of Forest Conservation Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification)- with Interest. Period of Violation from 10.01.2022 to 13.01.2022 (No. of Days =4). <u>Amount of NPV for Penalty/Violation</u> Amount of NPV X No. of days under Violation/365 = $1685 \times 4/365 = 19$ <u>Amount of Interest</u> Amount of NPV for Penalty/Violation X 12 (Rate of Interest) /100 X Time (No. of days under Violation/365) = $19 \times 12 /100 \times 4 = 9$. Total Amount = 19 + 9 = 28		28
H	Poling charges 0.57 m	Rs.1400 /- per m ³	798
I	Plantation damage charges = 0 Plants	Rs. 236/- per plant	0
	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I) to be deposited in CAMPA Fund		344853

2. Technical details:-

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows:-

- a) General Details:- Plantation will be done with 3 strand barbed wire.
b) Spacement:- 4 x 2½ meter

MPR

225

38

- c) Species:-
- d) Plantation Method :- Plantation
- e) Soil and Moisture Conservation Works
- f) Protection (Fencing, Watch man, People's Participation etc.): - Fencing
- g) Proposed Monitoring Mechanism:- (M&E),
- h) Any Other information:- Nil.

Date:

Place Bhiwani

Deputy Conservator of Forest,
Bhiwani

Divisional Forest Officer
Bhiwani Forest Division
Bhiwani

18/01/2022

[Handwritten signature]

ज्ञात प्रालम्भक

227

Phone: +91-6283950630



M/S MAHASUKH FILLING STATION

Village Lohani on Bhiwani-Loharu Road, Bhiwani, Haryana

24/1/2022

सेवा में,

श्री अतुल सिरसेकर जी, IFS (नाम द्वारा)
CCF हिसार
वन विभाग हरियाणा

विषय: गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारु रोड पर पेट्रोल पम्प से पेड़ कटवाने बारे तथा पम्प के ओपन ड्रेन हेतु 0.0019 hac वन भूमि लेने हेतु गलत CA स्कीम लगाये जाने बारे

उपरोक्त विषय बारे कृपा डी.एफ.ओ. भिवानी कार्यालय के प्रस्ताव क्रमांक 1145 दिनांक 18-1-2022 के सन्दर्भ में

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सुनील कुमार सरोहा सुपुत्र श्री मनीराम सरोहा, गाँव लोहानी भिवानी, लोहारु रोड NH-709B पर पेट्रोल पम्प स्थापित कर रहा हूँ। पम्प लगवाने के लिए आपके विभाग से पहले ही NOC ली हुई है। साहब आपके विभाग के द्वारा सर्वे की गई उस दौरान गलती से पम्प साईट के रास्ते में फ्रंट साइड में एक नीम का पेड़ नम्बर 173 काटे जाने वाले पेड़ों कि सूची में नहीं डाला गया, तथा उस सर्वे कि कॉपी मुझे नहीं दी गयी, वह पेड़ आज भी खड़ा हुआ है जो इग्रेस 11.5 मीटर में आता है। इसलिए इग्रेस बनाने में बाधक बना हुआ है। इसको कटवाने के लिए डी.एफ.ओ. भिवानी को दिनांक 29-9-2021 को आवेदन किया हुआ है मामला चार महीने से लंबित है। डी.एफ.ओ. साहब ने पेड़ नहीं कटवाया अपितु मेरे नाम पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 12-11-2021 को पत्र भेजा गया जिसकी प्रति संलग्न है। इसमें कहा कि -


बिंदु 1 - डीलर ने पेड़ अपनी मर्जी से छुड़वाया हुआ है जो सरासर गलत इल्जाम है, मैंने कोई पेड़ छोड़ने के लिए नहीं कहा।

बिंदु 2 - इग्रेस और इनग्रेस के बीच कि 12 मीटर जगह में NH के गाइडलाइन्स, तथा DC भिवानी द्वारा अनुमोदित IOCL के पेट्रोल पम्प के नक्शे के अनुसार रोड से बरसाती पानी कि निकासी के लिए ओपन ड्रेन बनाया जाना है। यह ड्रेन भारत सरकार के नियमानुसार रोड के दोनों तरफ बनाया जाता है इसकी वन विभाग से अलग से अनुमति नहीं ली जाती, यह पेट्रोल पम्प कि NOC का ही हिस्सा होती है। डी.एफ.ओ. भिवानी ने ओपन ड्रेन बनाने पर आपत्ति लगायी जो गैर कानूनी है।

इस पत्र में दो ऐतराज लगाये गये हैं मैंने दिनांक 24-11-2021 को लिखित में डी.एफ.ओ. भिवानी तथा PCCF हरियाणा को मामले पर विचार करके पेड़ कटवाने बारे अनुरोध किया है। इस पर PCCF हरियाणा ने समस्या के समाधान के लिए CCF रोहतक श्री एम.एल. राजवंशी कि अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बने गयी। इस सम्बन्ध में आदेश कि प्रति संलग्न है। दिनांक 15-12-2021 को श्री एम.एल.राजवंशी जी कि अध्यक्षता में पम्प साईट पर मीटिंग हुई इस दौरान कमेटी ने अपनी देखरेख में इग्नेस कि नियानानुसार नपाई की। इससे एक पेड़ नीम नम्बर 173 इग्नेस (बाहर जाने के रास्ते) के पूर्व में बीच में आना पाया गया, और डीलर द्वारा इस पेड़ को कटवाने से रोकने बारे कोई सबूत नहीं पाया गया। इस दौरान CCF रोहतक ने स्वयं निर्णय लिया कि उक्त पेड़ इग्नेस 11.5 मीटर के क्षेत्र में आता है इसकी एजेंसी/डीलर ने पहले ही NOC ली हुई है। DFO भिवानी इग्नेस व इनगेस के बीच 12 मीटर में ओपन ड्रेन बनवाने पर सरकारी नियमों के विरुद्ध नाजायज दबाव बनाकर ओपन ड्रेन कि अनुमति वन विभाग से लेने पर बहस करते रहे। इसके बाद CCF रोहतक ने मौखिक आदेश दिया कि वृक्ष कटवा दिया जाये और डीलर द्वारा ओपन ड्रेन बनवाने हेतु वन भूमि लेने कि अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करे। इससे इसके DFO भिवानी सहमत थे। उनके द्वारा बताया गया कि यह एक सरल प्रक्रिया है और 15 दिन में सब कुछ हो जायेगा, साथ ही मुझे बताया गया कि बस वन भूमि कि NPV और पेड़ का फेल्लिंग चार्ज लिया जायेगा, तो मैं भी सहमत हो गया और दिनांक 24-12-2021 को ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया। दिनांक 28-12-2021 को DFO भिवानी से लिखित में अनुरोध किया कि इस अतिरिक्त भूमि 0.0019 Ha जिस पर ओपन ड्रेन बनाया जाना है इस पर CA स्कीम लागू नहीं कि जाये क्यूंकि इस प्रोजेक्ट के लिए CA स्कीम पहले ही लगे जा चुकी है व CA स्कीम न लगाने बारे कमेटी ने पहले ही निर्णय ले लिया था।

श्रीमान जी, बड़ी हैरानी के साथ आपसे अनुरोध है कि DFO भिवानी ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए इस अतिरिक्त भूमि पर CA स्कीम दोबारा से लगाकर इसके नाजायज लागत रूपए 344853 कर दी है, जो सरासर गैर नियमनुसार व अनुचित है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मामले का पुनः निरीक्षण करके DFO भिवानी द्वारा बनाया गया प्रस्ताव रद्द करके नियमानुसार पुनः प्रस्ताव बनाने कि कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।



सुनील कुमार सरोहा

गाँव हडोदी

पेट्रोल पम्प साईट गाँव लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड

मो न. 6283950630, 7380088739

ईमेल: daz3dsuniel@gmail.com

1. उपरोक्त कि एक प्रति श्रीमान वी. एस. तंवर, आई.एफ.एस (नाम द्वारा), प्रधान मुख्य संरक्षक वन अधिकारी, वन विभाग, हरियाणा सरकार को अवलोकनार्थ

2. उपरोक्त कि एक प्रति श्री एम.एल. राजवंशी, आई.एफ.एस. सी.सी.एफ., (नाम द्वारा) रोहतक को अवलोकनार्थ



Office of the Chief Conservator of Forests
 Forest Department, Government of India
 Panchkula, Haryana
 151013

File No. 11-400
 Date of Submission

FP/HR/Approach/48019/2021
 24.01.2022

PART-III

(To be filled by the Conservator of Forests)

Whether any other forest land involved in the case is to be filled has been inspected by the concerned Conservator of Forests? If Yes, the date of inspection and the reasons for the same are to be mentioned.

Yes. On the request of the UA and as per the directions issued by PCCF (HWF), the site was visited on 28.01.2022 to verify the details mentioned under this proposal in FP/HR/Approach/48019/2021.

Whether the concerned Conservator of Forests agrees with the information given in Part-II and the recommendations of the Deputy Conservator of Forests.

The info agrees with the scheme of CA prepared by DCF Bhiwani for this project.

Specific Recommendations of the concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.

The UA has originally applied for diversion of 0.081 Ha. forest area (Proposal detailed No. FP/HR/Approach/48019/2021) for which final approval has been conveyed vide letter No. 9544/1951 dt. 15.03.2021. In the said proposal, 30 trees and 42 saplings were affected in addition to diversion of 0.081 Ha. forest area for which the following CA Scheme was prepared:-

1. CA in lieu of 20 trees to be felled (for 200 plants) - 202816.00
2. Additional Compensatory Afforestation - 122988.00
3. Net Present Value - 71847.00
4. Soil Moisture Conservation Charges - 86229.00
5. Supervisory Charges - 26282.00
6. Felling Charge - 20112.00
- Total Amount - 633674.00**

During the site inspection it was found that the UA intends to divert additional 0.0019 Ha. area for construction of open drain in the 'D' area for which one tree also will be felled. The UA has already violated the provisions and constructed part of the drain in 'D' area for which suitable action has been taken by DCF Bhiwani.

Since the additional land intended to be diverted is part of the same project under proposal No. FP/HR/Approach/48019/2021 for which CA Scheme was already prepared, now the following charges only are required to be recovered from the UA on account of CA.

- Difference of amount of CA for additional 10 plants in lieu of one tree to be felled.
1. 202816 Amount CA for 200 plants - 1464.00
 200 (cost of CA for 1 plants)
 2. Addl. Cost of CA for 10 plants - 14640.00
 3. Net Present Value - 1685.00
 4. Penalty Charge for Violation - 28.00
 5. Soil Moisture Conservation Charges - 4592.00
 6. Felling Charge - 792.00
 - Total Amount - 11543.00**

Therefore a total amount of Rs 21543/- need to be recovered from UA on account of CA for the additional land proposed to be diverted.

To
 PCCF, Panchkula
 Dated 31-1-2022

Atul Sirsikar
ATUL SIRSIKAR IFS
 Chief Conservator of Forests
 West Circle Haryana
 H554R

NRPM

Letter TCA Br.

अति आवश्यक

सेवा में,

श्रीमान श्री जगदीशचन्द्र जी, आई.एफ.एस. (नाम द्वारा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा
वन विभाग हरियाणा सरकार |

विषय- Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet of IOCLtd. at Village Lohani Distt. Bhiwani. Online Proposal No. FP/HR/Others/150474/2021 date of submission- 24/12/2021 में वन भूमि लेने पर गैर कानूनी गलत CA स्कीम लगाये जाने बारे |
यादी - कृपा उपरोक्त विषय बारे अपने कार्यालय के इंडोर्समेंट न. RS/PCCF/1223-26 dated 30-11-2021 के सन्दर्भ में

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं सुनील कुमार सरोहा सुपुत्र श्री मनीराम सरोहा गाँव लोहानी भिवानी-लोहारू रोड NH-709B पर पेट्रोल पम्प स्थापित कर रहा हूँ पम्प लगवाने हेतु आपके विभाग से पहले ही NOC ली हुई है जिसकी प्रति संलग्न है |

महोदय जी आपके विभाग जिला भिवानी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जो सर्वे कि गई उस दौरान गलती से पम्प साइट के रास्ते में फ्रंट साइड में एक नीम का पेड़ नम्बर 173 काटे जाने वाले पेड़ों कि सूची में नहीं डाला तथा सर्वे कि रिपोर्ट मेरे को नहीं दी गई | वह पेड़ आज भी खड़ा लिखा है जो इग्रेस 11.5 मीटर में आता है इसलिए एग्रेस बनाने में बाधक बना है तथा इससे एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, इसको कटवाने के लिए तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी श्री जितेन्द्र अहलावत को दिनांक 29-9-2021 को आवेदन किया है जिसकी प्रति संलग्न है | मामला नो मास से लंबित है | तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी शुरु से मेरे से रंजिश का व्यवहार कर रहा था तथा साजिश के तहत दबाव बनाकर मोटी रकम रिश्वत लेने के लिए पेड़ नहीं कटवाया अपितु मेरे नाम पत्र क्रमांक 1831 दिनांक 12-11-2021 को गलत पते पर पत्र भेजा गया जिसकी प्रति संलग्न है | इसमें कहा है कि :-

बिंदु - 1 डीलर ने पेड़ अपनी मर्जी से छुड़वाया है श्रीमान जी यह आरोप सरासर गलत है, मैंने पेड़ छोड़ने के लिए कभी भी लिखित व मौखिक नहीं कहा है |

बिंदु - 2 इग्रेस और इन्ग्रेस के बीच कि 12 मीटर जगह में NH कि गाइडलाइन्स तथा DC भिवानी द्वारा अनुमोदित IOCL के पेट्रोल पम्प के नक्शे के अनुसार रोड़ से बरसाती पानी कि निकासी के लिए ओपन ड्रेन बनाया जाना है |

यह ड्रेन भारत सरकार के नियमानुसार जिसके स्टैंडिंग आर्डर है उनके अनुसार बनाया गया है, रोड़ गाँव, कस्बों, शहरों में जहाँ भी बनाया जाता है वहाँ बरसाती पानी निकासी के लिए रोड़ कि दोनों तरफ वन भूमि में नाले बनाये जाते हैं | ओपन ड्रेन हेतु वन विभाग से अलग से अनुमति नहीं ली जाती | यह पेट्रोल पम्प कि NOC का हिस्सा होती है, श्री अहलावत ने जो ओपन ड्रेन बनाने पर आपत्ति लगाई है जिसकी प्रति संलग्न है जो गैर कानूनी है इसका उत्तर मैंने दिनांक 24-11-2021 को तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी श्री अहलावत तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा वन विभाग मुख्यालय को पत्र लिखा है जिसकी प्रति संलग्न है | इस पर PCCF

- 27 -

MPCW

हरियाणा ने समस्या के समाधान के लिए CCF रोहतक श्री एम.एल. राजवंशी कि अध्यक्षता में तीन सदस्यी कमेटी बनाई गयी इस सम्बन्ध में आदेश कि प्रति संलग्न है। दिनांक 15-12-2021 को श्री एम.एल.राजवंशी आई.एफ.एस. CCF रोहतक जी कि अध्यक्षता में पम्प साईट पर मीटिंग हुई इस दौरान कमेटी ने अपनी देखरेख में इग्रेस कि नियमानुसार नपाई की गई तथा नीम पेड़ नम्बर 173, इग्रेस के बीच में पाया गया, जिससे जान माल का खतरा है तथा डीलर द्वारा पेड़ को कटवाने से रोकने बारे कोई साबुत नहीं पाया गया। इस दौरान CCF रोहतक श्री राजवंशी जी ने निर्णय लिया कि उक्त पेड़ इग्रेस 11.5 मीटर के क्षेत्र में आता है इसकी एजेंसी/डीलर ने पहले ही NOC ली हुई है। DFO श्री अहलाबत जी ने ओपन ड्रेन बनवाने बारे सरकारी नियमों के विरुद्ध नाजायज दबाव बनाकर ओपन ड्रेन कि अनुमति वन विभाग से लेने पर बहस करते रहे। इसके बाद CCF रोहतक श्री राजवंशी जी ने मौखिक आदेश दिया कि वृक्ष कटवा दिया जाये और डीलर द्वारा ओपन ड्रेन बनवाने हेतु वन भूमि लेने के लिए अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करे, तथा इसमें कोई CA स्कीम नहीं लगायी जाएगी क्योंकि पहले ही NOC में CA स्कीम लैग चुकी है बस वन भूमि का NPV तथा जो एक पेड़ काटा जायेगा उसका का फेल्लिंग चार्ज ही लगेगा। इससे अहलावत जी सहमत हुए। DFO भिवानी से भी लिखित में अनुरोध किया कि इस वन भूमि पर CA स्कीम नहीं लगाया जाए जो पहले NOC में लगाया जा चुका है।

महोदय जी जब DFO भिवानी ने प्रपोजल बनाकर CCF, हिसार को भेजी इसमें नियमों कि उल्लंघना करके पुनः CA स्कीम लगाकर गैर कानूनी वन भूमि कि लागत रूपए 344853/- नाजायज बना दी गयी। इस बारे में CCF हिसार से मामले के समाधान के लिए अनुरोध किया इस पर दिनांक 25-1-2022 को CCF हिसार श्री अतुल सिरसेकर आई.एफ.एस. जी ने श्री अहलावत जी के साथ पम्प साईट का निरीक्षण कर रिपोर्ट पुनः बनाने के आदेश दिए तथा रिपोर्ट पुनः बनाई गयी जिससे वन भूमि कि NPV व एक पेड़ कटवाने कि कुल लागत रूपए 21543/- बनाई गयी जो DFO भिवानी अहलावत जी तथा CCF हिसार श्री अतुल सिरसेकर जी से हस्ताक्षरित रिपोर्ट अनुमोदन हेतु PCCF हरियाणा वन विभाग हरियाणा को दिनांक 31-1-2022 को प्रस्तुत कि गयी है। श्रीमान जी जानकर बड़ी हैरानी हुई कि मुख्यालय के द्वारा गैर कानूनी लागत रूपए 344853/- नाजायज अनुमोदित हेतु केन्द्रीय सरकार कार्यालय सेक्टर-31 चंडीगढ़ को भेजी गयी है। अतः आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि इस प्रपोजल को रुकवाकर इसका पुनः निरीक्षण करके जो उचित लागत रूपए 21543/- बनती है इसे अनुमोदित करवाए तथा पेड़ कटवाने तथा ओपन ड्रेन कि भूमि-कि अनुमति शीघ्र दिलवाने कि कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक: 7/7/2022

For MAHASUKH FILLING STATION

Sunil Kumar
7/7/2022 PROP

सुनील कुमार सरोहा सुपुत्र श्री मनीराम सरोहा
पम्प गाँव लोहनी, भिवानी लोहारू रोड़, NH-709 B
6283950630

-28-

APR

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी परिमण्डल,
हवाई अड्डा रोड, नजदीक मिल गेट, हिसार, हरियाणा 125001

दूरभाष/फैक्स नं० 01662-259489

email address-wstcrcl@yahoo.com

क्रमांक FCA/1690

दिनांक 22/11/2023

सेवा में,


अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :- Diversion of 0.0019 Ha. of Forest Land for construction of open drain in addition to 0.081 Ha. forest land already diverted for access to Retail outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu Road (NH-709B), km. 136.702 (RHS), Tehsil & Distt. Bhiwani. Proposal No. FP/HR/Approach/150474/2021.

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10244/3068 दिनांक 25.01.2023।

-0-0-0-


सन्दर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 24.08.2023 को उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत व०म०अ० भिवानी से सूचना मांगी गई। व०म०अ०, भिवानी द्वारा अवगत करवाया गया कि यूजेर एजेंसी द्वारा इससे पहले Diversion of 0.0081 Ha. Proposal No. FP/HR/App./48019/2020 के केस में बाधक 20 वृक्ष व 42 पौधे थे। जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन बाधक वृक्षों में नीम का वृक्ष शामिल नहीं है जो वर्तमान प्रस्ताव में चल रहा है। इसके अतिरिक्त मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 16.11.2022 द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी वह रिकार्ड अनुसार भेजी गई थी। जहां तक जाति सूचक शब्द का प्रश्न है, आपको अवगत करवाया जाता है कि जो भी क्षति रिपोर्ट चाक की जाती है उसमें मुलजिम का पूर्ण विवरण दिया जाना होता है। अतः इसमें कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग गलत मंशा से किया जाना प्रतित नहीं होता है। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार।

पृ०क्रमांक

दिनांक

इसकी एक प्रति व०म०अ०, भिवानी को उनके पत्र क्रमांक 949 दिनांक 04.10.2023 व 1307 दिनांक 16.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हरियाणा,
हिसार।

